

श्री अजयवीरसिंह
प्रतिवादीगण

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गाम नैवाडा तहसील मुसावर रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 186 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 206 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 182 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 208 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 193 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 236 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 193 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 236 रकबा 2

निर्णय-दिनांक 28.09.2022

उपस्थित - श्री अजयवीरसिंह...वादीगण अधिवक्ता
श्री प्रकाश चंद प्रतिवादीगण अधिवक्ता

राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955
अन्तर्गत धारा 53 व 188

—प्रतिवादीगण

कार जारी तहसीलदार तहसील मुसावर
श्री नवल जाति ब्राह्मण निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री नवल जाति ब्राह्मण निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री नवल जाति ब्राह्मण निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री गणेश जाति ब्राह्मण निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री गणेश जाति ब्राह्मण निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री नवल जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री नवल जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री देवसिंह जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री रामचरन जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री रामचरन जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री रामचरन जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री देवाली जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री देवाली जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर
श्री देवाली जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर

बनाम

—


श नहीं किया गया। शवदड़ का जबाव बय पढ़ा गया।
न की सहमति के आधार पर दावा-वादी दिनांक 14.08.2019 को प्रारम्भिक डिक्री
ाबंदी में दर्ज सहखातेदारान के मध्य विभाजन हेतु पेश करने विभाजन प्रस्ताव
को लिखा गया। तहसीलदार भुसावर ने विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.07.22 को
गया वादीगण की ओर से वकालतनामा श्री अजयवीर सिंह अधिवक्ता द्वारा पेश

त रिपोर्ट पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया दोनों पक्षकारान द्वारा कुरेजात
ताई गई।

गली का अवलोकन किया गया प्रारम्भिक डिक्री एवं तहसीलदार भुसावर द्वारा
न प्रस्ताव का अध्ययन किया जिसके आधार पर दावा-वादी स्वीकार किया जाना

वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि
.07.2022 अनुसार वादी एवं प्रविवादीगण को खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया
व निर्णय का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी होवे।

दिनांक 28.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हेमराज मुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)